

बिहार सरकार  
(परिवहन विभाग)

शुद्धि-पत्र

पत्रांक-04/ STA-P3-381/2014

पटना, दिनांक-

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-5217, दिनांक-09.08.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न कड़िका जोड़ी जाती है कि-"4. श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा0प्र0से0, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के योगदान समर्पित करने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक - 04/STA.-P3-381/2014

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सीडी सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियां कार्यालय व्यवहार हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 04/STA.-P3-381/2014

5262

पटना, दिनांक-

10/8/18

प्रतिलिपि:- मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव, /अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्सद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

5/10/18

सरकार के उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।